न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई प्रथम, आर.ए.एस.

223RTA2017-101(GCMS2017-00219)

प्रतापसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत
निवासी देणोक, तहसील लोहावट
जिला. जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

--- **अपीलाण्ट**

ब

ना

म

1. घेवरसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत
2. हरीसिंह पुत्र कानसिंह राजपूत
3. खुशालसिंह पुत्र तुलछसिंह राजपूत
4. सुजानसिंह पुत्र खुशालसिंह राजपूत
5. प्रेमसिंह पुत्र तुलछसिंह राजपूत
   निवासीगण ग्राम देणोक, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर (वर्तमान जिला फलोदी)

--- **रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी दिनांक 13 फरवरी 2012 राजस्व वाद संख्या 131/2010 अनवान घेवरसिंह बनाम हरीसिंह आदि

—— 0 ——

उपस्थित -

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट
श्री प्रेमकुमार विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2
श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 3
बकाया रेस्पो. बावजूद सूचना अनुपस्थित

नि र्ण य

दिनांक : 17 दिसम्बर 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 131/2010 घेवरसिंह बनाम हरीसिंह आदि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 13 फरवरी 2012 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 17 नवम्बर 2017 को पेश की है। साथ ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर विलम्ब क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देणोक तहसील फलोदी स्थित आराजी खसरा संख्या 6 रकबा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 7 रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा व खसरा संख्या 97 रकबा 7 बीघा 06 बिस्वा कुल रकबा 27 बीघा 19 बिस्वा के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक घेवरसिंह ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत दावा प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21 जून 2011 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये एवं विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद दिनांक 13 फरवरी 2012 को अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी जारी की गयी। उक्त निर्णय एवं फाइनल डिकी से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात में हिस्सो के संबंध में पक्षकारान में कोई विवाद नहीं है और इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 21 जून 2011 के खिलाफ कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। मगर प्राथमिक डिकी के अनुसरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बंटवारा प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत अपीलाण्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया और इकतरफा बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा आपत्तियॉ सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 13 फरवरी 2012 पारित कर दिये गये। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानानुसार विभाजन प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर सहखातेदारान की उपस्थिति में तैयार करने होते है, मगर आलौच्य प्रकरण में ऐसा नहीं किया गया और इकतरफा विभाजन प्रस्ताव पटवारी हळका द्वारा तैयार किये जाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। अपीलाण्ट के खिलाफ विभाजन प्रस्ताव बाबत जारी नोटिस पर प्रतापसिंह की बजाय प्रेमसिंह का नाम अंकित किया गया है। पक्षकारान के हिस्सो तक आवागमन के संबंध में रास्ते की व्यवस्था व विभाजन प्रस्ताव के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण संख्या 3 व 6 की ओर से आपत्तियां पेश की गयी, मगर विचारण न्यायालय द्वारा नजरअंदाज कर दी गयी। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 13 फरवरी 2012 बाबत अपीलाण्ट को दिनांक 05 नवम्बर 2011 को रेस्पो. संख्या एक के व्यक्तियों द्वारा अपीलाण्ट के कब्जे वाली भूमि रेस्पो. संख्या एक के बंट मे आ जाने बाबत बताये जाने पर हुई, तब अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की नकल आदि प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है, जो अन्दर मियादशुमार की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और अपीलाण्ट को वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 13 फरवरी 2012 के खिलाफ आलौच्य अपील अपीलाण्ट द्वारा निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के बाद करीब 5 साल के विलम्ब से दिनांक 17 नवम्बर 2017 को प्रस्तुत की गयी और विलम्ब का कोई समुचित संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण भी मियाद प्रार्थनापत्र में अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 13 फरवरी 2012 प्राथमिक डिकी के अनुसरण में विधिवत जारी की गयी है। विभाजन प्रस्ताव में प्रतापसिंह उपस्थित है। अतः अपील अपीलाण्ट मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद स्वीकार करते हुए दिनांक 21 जून 2011 को जारी निर्णय एवं प्राथमिक डिकी के खिलाफ कोई चाराजोई नहीं की गयी है। अतः प्राथमिक डिकी बाबत कोई विवेचन कर निष्कर्ष पारित किये जाने की आवश्यकता प्रकट नहीं होती है।

मगर अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 13 फरवरी 2012 के संबंध में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री के अनुसरण में दिनांक 08 जुलाई 2011 को विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार फलोदी द्वारा मौके पर जाकर तैयार नहीं किये गये है, अपितु संबंधित आर.आई. द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र कमांक 329 दिनांक 25 जनवरी 2012 के संलग्न कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये है। उक्त पत्र में वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति से केवल खसरा संख्या 7 रकबा 20.6 बीघा के विभाजन में परिवर्तन किया जाना, शेष विभाजन पूर्व में पटवारी/आर.आई. द्वारा किये गये विभाजन के अनुरूप ही रखा जाना अंकित करते हुए पटवारी/आर.आई. हळका द्वारा प्रस्तुत मूल विभाजन प्रस्ताव की मौका फर्द संलग्न की जाकर प्रस्तुत किया जाना अंकित है। इस प्रकार जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये बिना, संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर गये बिना एवं अपीलाण्ट-प्रतिवादी को पूर्व-सूचित किये बिना ही तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मगर इन महत्वपूर्ण विधिक बिन्दुओं पर कोई गौर किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 13 फरवरी 2012 विधिसम्मतः नहीं पाये जाने से बहाल रखे जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट न्यायहित में अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 13 फरवरी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2012 अपास्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जावे और राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करते हुए फाइनल डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर